


डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के
बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमत्. अनुमति-पत्र क्र.
भोपाल-१०५/डक्यु. पी.



पंजी कर्मांक भोपाल डिवीजन
१२२ (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल; शनिवार, दिनांक 2 जनवरी 1988--पोष 12; शके 1909

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक १ जनवरी १९८८

क्र. ५२-इ.प.सी.प्र. (प्रा.)--मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक १८ दिसम्बर १९८७ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गणेश सिंह, विशेष सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १ सन् १९८८

मध्यप्रदेश लोक-धन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, १९८७.

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
३. कतिपय शोध्य राशियों की भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली.
४. व्यावृत्तियां.
५. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अधीन शोध्य राशियों की वसूली को विवर्जित न करना.
६. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति.
७. निरसन और विधिमान्यकरण आदि.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १ सन् १९८८

मध्यप्रदेश लोक-धन (शोध राशियों की वसूली) अधिनियम, १९८७

[दिनांक १८ दिसम्बर, १९८७ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २ जनवरी, १९८८ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

कतिपय वर्गों की शोध राशियों की, जो राज्य सरकार, सरकारी कम्पनियों तथा कतिपय प्रवर्गों के निगमों और बैंककारी कम्पनियों को दय है, शोध वसूली के लिए तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबन्ध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक-धन (शोध राशियों की वसूली) अधिनियम, १९८७ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

(३) यह तत्काल प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "कृषि" का वही अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश कृषि उधार प्रवर्तन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध (बैंक) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ३२ सन् १९७३) की धारा २ के खण्ड (क) में उसके लिए दिया गया है;

(ख) "बैंककारी कम्पनी" से अभिप्रेत है:—

(एक) बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ (१९४९ का सं. १०) में यथापरिभाषित बैंककारी कम्पनी;

(दो) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, १९५५ (१९५५ का सं. २३) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक;

(तीन) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, १९५९ (१९५९ का सं. ३८) में यथापरिभाषित समनुषंगी बैंक;

(चार) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अजन और अन्तरण) अधिनियम, १९७० (१९७० का सं. ५) या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, १९८० (१९८० का सं. ४०) के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक;

(पांच) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, १९७६ (१९७६ का सं. २१) के अधीन स्थापित प्रादेशिक ग्रामीण बैंक; और

(छह) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) में यथापरिभाषित वित्तदायी बैंक या केन्द्रीय सोसाइटी, सहकारी भूमि विकास बैंक को अपवर्जित करते हुए;

(ग) "निगम" से अभिप्रेत है राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, १९५१ (१९५१ का सं. ६३) के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश वित्त निगम और उसके अन्तगत है केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व का या उसके द्वारा नियंत्रित कोई ऐसा अन्य निगम जिसे राज्य सरकार ने, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निगम घोषित किया है;

(घ) "वित्तीय सहायता" से अभिप्रेत है—

(एक) कोई औद्योगिक समुत्थान स्थापित करने, उसका विस्तार, आधुनिकीकरण, नवीकरण करने या उसे चलाने के लिए; या

- (दो) व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए ; या
- (तीन) कृषि या कृषि-उद्योग के विकास के लिए ; या
- (चार) किसी राज्य-प्रायोजित स्कीम को या सामाजिक दृष्टि से वांछनीय किसी स्कीम को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए ; या
- (पांच) कष्ट (डिस्ट्रेस) में राहत देने के लिए ; या
- (छह) किसी अन्य प्रकार के योजनावद्ध विकास के प्रयोजनों के लिए दी गई किसी प्रकार की वित्तीय सहायता ;
- (ढ) "सरकारी कम्पनी" से अभिप्रेत है कम्पनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. १) की धारा ६१७ में यथापरिभाषित सरकारी कम्पनी ;
- (च) "श्रीयोगिक समुत्थान" का वही अर्थ होगा जो कि समय-समय पर यथा संशोधित राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, १९५१ (१९५१ का सं. ६३) में उस अभिव्यक्ति के लिए दिया गया है ;
- (छ) "व्यक्ति" के अंतर्गत है कोई वारिस, विधिक प्रतिनिधि, समनुदेशिनी या प्रत्याभूति-दाता ;
- (ज) "राज्य-प्रायोजित स्कीम" से अभिप्रेत है वित्तीय सहायता दी जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कोई स्कीम जिसके अधीन राज्य सरकार या तो,—
- (एक) किसी बैंककारी कम्पनी को या किसी सरकारी कम्पनी को कोई धन उधारों, अग्रिमों या अनुदानों का संवितरण करने के प्रयोजनों के लिए अथवा उधार पर या अवक्रय पर माल के विक्रय के प्रयोजनों के लिए देती है ; या
- (दो) किसी उधार अग्रिम या अनुदान के प्रतिसंदाय को अथवा उधार या अवक्रय पर बेचे गये माल की कीमत के संदाय को प्रत्याभूत करती है या प्रत्याभूत करने का करार करती है ;
- (द्व) "सामाजिक दृष्टि से वांछनीय स्कीम" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा उस रूप में अधिसूचित कोई स्कीम जिसके अधीन कोई बैंककारी कम्पनी किसी व्यक्ति को उधार के रूप में धन देती है.

३. (१) जहां कोई व्यक्ति—

कतिपय शोध्य राशियों की भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली.

- (अ) राज्य सरकार या किसी निगम द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में उसे दिए गये किसी उधार, अग्रिम या अनुदान से संबंधित अथवा उसे उधार पर बेचे गये माल की कीमत के संदाय से संबंधित अथवा उसे बेचे गए माल के अवक्रय से संबंधित किसी करार का पक्षकार है ; या
- (आ) किसी बैंककारी कम्पनी या किसी सरकारी कम्पनी द्वारा यथास्थिति किसी राज्य-प्रायोजित स्कीम के अधीन या सामाजिक दृष्टि से वांछनीय किसी स्कीम के अधीन उसे दिये गये किसी उधार, अग्रिम या अनुदान से संबंधित अथवा उसे उधार पर बेचे गये माल की कीमत के संदाय से संबंधित अथवा उसे बेचे गये माल के अवक्रय से संबंधित किसी करार का पक्षकार है ; या
- (इ) किसी श्रीयोगिक समुत्थान द्वारा लिए गये किसी उधार को बावत् राज्य सरकार या किसी निगम द्वारा दी गई किसी प्रत्याभूति से संबंधित किसी करार का पक्षकार है ; या
- (ई) किसी ऐसे करार का, जिसमें यह उपबंध किया गया हो कि राज्य सरकार को उस करार के अधीन देय कोई धन भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा, पक्षकार है.

और ऐसा व्यक्ति—

(एक) उधार या अग्रिम या अनुदान किसी निगम या कम्पनी के अधीन

(दो) अनुदान की शर्तों के अधीन अनुदान या उसके किसी प्रभाग का प्रतिदाय करने के लिये दायी हो जाने पर ऐसे अनुदान या उसके किसी प्रभाग का या उसकी किसी किस्त का प्रतिदाय करने में कोई व्यतिक्रम करता है; या

(तीन) करार के निबन्धनों का अनुपालन करने में अन्याया असफल रहता है, वहां,—

(क) राज्य सरकार की दशा में, ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करे;

(ख) किसी निगम या किसी सरकारी कंपनी की दशा में, उसका प्रबंध निदेशक, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो; और

(ग) किसी बैंककारी कंपनी की दशा में, उसका स्थानीय अधिकर्ता, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो,

एक प्रमाण-पत्र ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाय और जो धारा ४ की उपधारा (२) के उपबंधों से संगत हो, उस जिले के, जिसमें ऐसा व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है या कारबार करता है या कोई संपत्ति स्वामित्व में रखता है, कलेक्टर को या कलेक्टर के अधीनस्थ ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार या कलेक्टर, आदेश द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, भेज सकेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति से शोध्य राशि का उल्लेख किया जाएगा और यह अनुरोध किया जाएगा कि ऐसी राशि, कार्यवाहियों के खर्च तथा शोध्य राशि पर करार में विनिर्दिष्ट दर से वसूली की तारीख तक के ब्याज सहित, इस प्रकार वसूल की जाए मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो:

परन्तु इस उपधारा के अधीन जारी किया गया प्रमाण-पत्र, ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा :

परन्तु यह और भी कि कार्यवाहियों के खर्च की संगणना सदैव उस मूल राशि के, जो वसूल की जाती है, तीन प्रतिशत की दर से ही जाएगी.

(२) कलेक्टर या उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट उसका अधीनस्थ अधिकारी ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर, उसमें कथित रकम की वसूली मध्यप्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) के अधीन भू-राजस्व की बकाया के तौर पर करने के लिये कार्यवाई करेगा.

(३) यथापूर्वोक्त शोध्य किसी राशि की वसूली के लिए किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जिसके संबंध में ऐसी राशि की वसूली के लिये प्रमाण-पत्र उपधारा (१) के अधीन जारी किया गया हो, कोई वाद सिविल न्यायालय में नहीं होगा:

परन्तु किसी ऐसी राशि की वसूली के लिये वाद संस्थित करने के लिये, परिसीमा-काल की संगणना करने में वह कालावधि, जिसके दौरान इस धारा के अधीन वसूली वजित हो, अपवजित कर दी जाएगी.

(४) उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट किसी ऐसे करार की दशा में, जो उस उपधारा में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति और राज्य सरकार या किसी निगम के बीच किया गया हो, किसी ऐसी राशि की, जिसके शोध्य होने का दावा उक्त उपधारा के अधीन किया गया है, वसूली के लिये या ऐसे दावे की शुद्धता का विरोध करने के लिये कोई माध्यस्थ कार्यवाहियों दोनों में से किसी भी पक्षकार की प्रेरणा पर नहीं होगी.

परन्तु जब किसी ऐसी राशि की वसूली के लिये कार्यवाहियां किसी व्यक्ति के विरुद्ध की जाती हैं, तब वह व्यक्ति यातायात रकम का संदाप अभ्यापति रहित ऐसी कार्यवाहियां करने वाले अधिकारी को कर सकेगा, और ऐसा संदाप कर दिया जाने पर व कार्यवाहियां रोक दी जाएंगी और वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाहियां की गई थीं, इस प्रकार संदाप रकम की वास्तव निर्देश माध्यस्थम्-करार के अधीन कर सकेगा या माध्यस्थम्-करार को अन्यथा प्रवर्तित करा सकेगा।

(५) उपधारा (१) के प्रथम परन्तुक में और उपधारा (४) के परन्तुक में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपाधित के सिवाय, उपधारा (१) के अधीन जारी किया गया प्रत्येक प्रमाण-पत्र अंतिम होगा और किसी मूल वाद, धावेपन (जिसके अंतर्गत माध्यस्थम् अधिनियम, १९४० के अधीन का कोई आवदन भी है) या माध्यस्थम् के लिये किसी निर्देश में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने के लिये आशयित किसी कार्रवाई के बारे में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश नहीं दिया जाएगा।

(६) इस अधिनियम के अधीन वसूल की गई कोई रकम, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्निष्ठ किसी धारा के होते हुए भी, निम्नलिखित रीति में उपयोजित की जाएगी, अर्थात्:—

- (क) प्रथमतः कार्यवाहियों के खर्च के मद्दे जो राज्य सरकार तथा उपधारा (१) के अधीन प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के बीच ऐसी रीति में विभाजित किए जायेंगे जो विहित की जाए;
- (ख) द्वितीयतः, प्राधिकरण को संदाप किये जाने वाले ब्याज के मद्दे;
- (ग) तृतीयतः, प्राधिकरण को संदाप की जाने वाली शोध्य मूल रकम के मद्दे; और
- (घ) अतिशेष, यदि कोई हो, यथासंभव मध्यप्रदेश लैण्ड रेवेन्यू कोड, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा १५१ के उपबंधों के अनुसार।

४. (१) धारा ३ में की कोई बात—

व्यावृत्तियां

(क) किसी संपत्ति में के राज्य सरकार के, किसी निगम, किसी सरकारी कंपनी या किसी बैंककारी कंपनी के किसी ऐसे हित पर प्रभाव नहीं डालेगी जो किसी बंधक, प्रभार, गिरवी या अन्य विल्लंगम द्वारा सृजित किया गया हो; या

(ख) उस धारा में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे अधिकार या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगी जो उस धारा में निर्दिष्ट किसी करार के संबंध में की गई किसी क्षतिपूर्ति सन्विदा या प्रत्याभूति की किसी सन्विदा के बारे में हो या खंड (क) में निर्दिष्ट किसी हित के बारे में हो।

(२) जहां धारा ३ में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की संपत्ति राज्य सरकार, किसी निगम या किसी सरकारी कंपनी या किसी बैंककारी कंपनी के पक्ष में किए गए किसी बंधक, प्रभार, गिरवी या अन्य विल्लंगम के अध्वधीन हो, वहां,—

(क) माल के गिरवी रखे जाने या उसका आडमान किए जाने की दशा में, सर्व प्रथम उस माल के, जो गिरवी रखा गया है या जिसका आडमान किया गया है, विक्रय के लिये कार्यवाहियां की जाएंगी और यदि ऐसे विक्रय के आगम शोध्य राशि से कम हों, तो अतिशेष की वसूली भू-राजस्व की बकाया के तौर पर की जाने के लिये कार्यवाहियां की जाएंगी:

परन्तु जहां क्लबकर की यह राय हो कि यथास्थिति राज्य सरकार या किसी निगम, किसी सरकारी कंपनी या किसी बैंककारी कंपनी को शोध्य राशि की वसूली को सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, गिरवी रखे गये माल के विक्रय के लिए कार्यवाहियां की जाने के पूर्व या ऐसा किये जाने के समय ही उन कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएंगे, यह निर्देश दे सकगा कि शोध्य राशि की वसूली भू-राजस्व की बकाया के तौर पर की जाने के लिये कार्यवाहियां की जाएं;

(ख) स्थावर संपत्ति पर किसी बंधक, प्रभार या अन्य विल्लंगम होने की प्रत्येक दशा में, सर्वप्रथम ऐसी संपत्ति को, या यथास्थिति ऐसी संपत्ति में के व्यक्तिक्रमी के हित को ऐसे व्यक्ति से शोध्य राशि की वसूली भू-राजस्व की बकाया के तौर पर की जाने संबंधी कार्यवाहियों में बेचा जाएगा, और तत्पश्चात् कोई अन्य कार्यवाहियां केवल उस दशा में की जा सकेंगी जबकि कलक्टर यह प्रमाणित कर देता है कि कुल शोध्य राशि की वसूली प्रथम वर्णित प्रक्रिया द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर की जा सकने की कोई संभाव्यता नहीं है।

अधिनियम का ५. इस अधिनियम में की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन शोध्य राशियों की वसूली को किसी अन्य विधि के विवर्जित नहीं करेगी:
अधीन शोध्य राशियों की वसूली को विवर्जित न करना परन्तु ऐसा प्राधिकरण, जिसको वि. राशि शोध्य हो, उसकी वसूली के लिये एक समय में एक ही विधि के उपबंधों का आश्रय लेगा।

नियम बनाने की ६. (१) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिये नियम, अधि-राज्य सरकार की सूचना द्वारा बना सकेगी। शक्ति।

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्न-लिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिये उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन भेजे जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्ररूप;

(ख) वह रीति जिसमें कार्यवाहियों का खर्च धारा ३ की उपधारा (६) के खंड (क) के निबन्धनों के अनुसार राज्य सरकार और प्राधिकारी के बीच विभाजित किया जाएगा;

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या जो विहित किया जाए।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे।

निरसन और विधि- ७. (१) मध्यप्रदेश लोक-धन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, १९८१ (क्रमांक २७ सन् मान्यकरण आदि. १९८१) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, किन्हीं भी ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में, जो निरसित अधिनियम के अधीन किसी राशि की वसूली के लिये संस्थित की गई हों और ऐसे निरसन की तारीख को लंबित हों, यह समझा जाएगा कि वे इस अधिनियम के अधीन संस्थित की गई हैं, और वे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार चालू रहेंगी।

(३) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, कोई भी ऐसी बात या कार्यवाई, जो निरसित अधिनियम के अधीन की गई हो या जिसका उस प्रकार किया जाना तात्पर्यित रहा हो (जिसके अंतर्गत किसी रकम की वसूली के लिये किया गया आदेश, जारी की गई सूचनाएं या प्रमाण-पत्र तथा आरंभ की गई कार्यवाहियां हैं), उसी प्रकार विधिमान्य तथा प्रभावी समझी जाएगी मानों ऐसी बात या कार्यवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई हो और तदनुसार किसी ऐसी बात या किसी कार्यवाई की, जो निरसित अधिनियम के अधीन की गई हो या जिसका उस प्रकार किया जाना तात्पर्यित रहा हो, विधिमान्यता को प्रश्नगत करने वाला कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां किसी न्यायालय में इस आधार पर चलाई या जारी नहीं रखी जाएंगी कि उक्त अधिनियम इस कारण असंवैधानिक या शून्य है कि उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिये आरक्षित नहीं रखा गया था और उसे राष्ट्रपति द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी।

भोपाल, दिनांक १ जनवरी १९८८

क. ५३-इयकीस-अ (प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खंड (३) के अनुसरण में मध्यप्रदेश लोक धन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, १९८७ (क्रमांक १ सन् १९८८) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गणेश सिंह, विशेष सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 1 of 1988

THE MADHYA PRADESH LOK DHAN (SHODHYA RASHIYON KI VASULI) ADHINIYAM, 1987

TABLE OF CONTENTS

Sections:

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Recovery of certain dues as arrears of land revenue.
4. Savings.
5. Act not to debar recovery of dues under any other law.
6. Power of State Government to make rules.
7. Repeal and validation, etc.

MADHYA PRADESH ACT

No. 1 of 1988

THE MADHYA PRADESH LOK DHAN (SHODHYA RASHIYON KI VASULI) ADHINIYAM, 1987

[Received the assent of the President on the 18th December, 1987; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extraordinary), dated the 2nd January, 1988.]

An Act to provide for the speedy recovery of certain classes of dues payable to the State Government, Government Companies and certain categories of Corporations and Banking Companies, and for matters connected therewith.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Thirty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Lok Dhan (Shodhya Rashiyan Ki Vasuli) Adhiniyam, 1987. Short title, extent and commencement.
- (2) It extends to the whole of Madhya Pradesh.
- (3) It shall come into force at once.
2. In this Act, unless the context otherwise requires,— Definitions.
 - (a) "agriculture" shall have the meaning assigned to it in clause (a) of Section 2 of the Madhya Pradesh Krishi Uddhar Pravartan Tatha Prakirn Upbandh (Bank) Adhiniyam, 1972 (No. 32 of 1973);
 - (b) "Banking Company" means,—
 - (i) a banking company as defined in the Banking Regulation Act, 1949 (No. 10 of 1949);
 - (ii) the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 (No. 23 of 1955);
 - (iii) a subsidiary Bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (No. 38 of 1959);

- (iv) a corresponding new Bank constituted under Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (No. 5 of 1970) or the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (No. 40 of 1980);
- (v) a Regional Rural Bank established under the Regional Rural Banks Act, 1976 (No. 21 of 1976); and
- (vi) a financing bank or a Central Society as defined in the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) excluding a Co-operative Land Development Bank;
- (c) "Corporation" means the Madhya Pradesh Financial Corporation established under the State Financial Corporation Act, 1951 (No. 63 of 1951) and includes any other Corporation owned or controlled by the Central Government or the State Government which is declared by the State Government, by notification, to be a Corporation for the purpose of this Act;
- (d) "financial assistance" means any kind of financial assistance given,—
- (i) for establishing, expanding, modernising, renovating or running any industrial concern; or
 - (ii) for the purpose of vocational; or
 - (iii) for the development of agriculture or agro industry; or
 - (iv) for the purpose of carrying out any State sponsored scheme or socially desirable scheme; or
 - (v) for relief against distress; or
 - (vi) for purposes of any other kind of planned development.
- (e) "Government Company" means Government company as defined in Section 617 of the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956);
- (f) "industrial concern" shall have the meaning assigned to the expression in the State Financial Corporation Act, 1951 (No. 63 of 1951), as amended from time to time;
- (g) "person" includes an heir, a legal representative, an assignee or a guaranter;
- (h) "State sponsored scheme" means a scheme sponsored by way of financial assistance by the State Government under which the State Government either,—
- (i) advances money to a banking company or Government company for the purposes of disbursing loans, advances or grants or for the purposes of sale of goods on credit or hire purchase; or
 - (ii) guarantees or agrees to guarantee the repayment of a loan, advance or grant or the payment of the price of goods sold on credit or hire purchase;
- (i) "socially desirable scheme" means a scheme notified as such by the State Government under which a banking company advances money to any person by way of loan.

Recovery of certain dues as arrears of land revenue.

3. (1) Where any person is a party,—

- (A) to any agreement relating to a loan, advance or grant given to him or relating to payment of price of goods sold to him on credit or relating to hire-purchase of goods sold to him by the State Government or a Corporation by way of financial assistance; or

- (B) to any agreement relating to loan, advance or grant given to him or relating to payment of price of goods sold to him on credit or relating to hire-purchase of goods sold to him by a banking company or a Government Company under a State sponsored scheme or as the case may be under a socially desirable scheme; or
- (C) to any agreement relating to a guarantee given by the State Government or a Corporation in respect of a loan raised by an industrial concern; or
- (D) to any agreement providing that any money payable there-under to the State Government shall be recoverable as arrears of land revenue and such person,—
- (i) makes any default in repayment of the loan or advance or any instalment thereof; or
 - (ii) having become liable under the conditions of the grant to refund the grant or any portion thereof makes any default in the refund of such grant or portion or any instalment thereof; or
 - (iii) otherwise,
- fails to comply with the terms of the agreement then,—
- (a) in the case of the State Government, such Officer as the State Government may by notification authorise in this behalf;
 - (b) in the case of a Corporation or a Government Company, the Managing Director thereof by whatever name called; and
 - (c) in the case of banking company, the local agent thereof by whatever name called,

may send a certificate in such form as may be prescribed, and consistent with the provisions of sub-section (2) of Section 4, to the Collector of the district in which such person normally resides or carries on business or owns property, or to such other subordinate officer of the Collector, as the State Government or the Collector may, by an order, specify in this behalf, mentioning the sum due from such person and requesting that such sum together with the cost of proceedings and interest on the sum due at the rate specified in the agreement, upto the date of recovery, be recovered as if it were an arrear of land revenue :

Provided that a certificate issued under this sub-section may be withdrawn by the authority issuing such certificate at any time:

Provided further that the cost of proceedings shall always be calculated at the rate of three per cent. of the principal sum to be recovered.

(2) The Collector or his subordinate officer specified under sub-section (1) on receiving the certificate shall take steps to recover the amount stated therein as an arrear of land revenue under the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

(3) No suit for the recovery of any sum due as aforesaid shall lie in a civil court against any person in respect of whom a certificate for recovery of such sum has been issued under sub-section (1):

Provided that in computing the period of limitation for institution of suit for the recovery of any such sum, the period during which the recovery is barred under this section shall be excluded.

(4) In the case of any agreement referred to in sub-section (1) between any person referred to in that sub-section and the State Government or a Corporation, no arbitration proceedings shall lie at the instance of either party either for recovery of any sum claimed to be due under the said sub-section or for disputing the correctness of such claim :

Provided that whenever proceedings are taken against any person for the recovery of any such sum he may pay the amount claimed under protest to the officer taking such proceedings, and upon such payment the proceedings shall be stayed and the person against whom such proceedings were taken may make a reference under arbitration agreement or otherwise enforce an arbitration agreement in respect of the amount so paid.

(5) Save as otherwise expressly provided in the first proviso to sub-section (1) and the proviso to sub-section (4), every certificate issued under sub-section (1) shall be final and shall not be called in question in any original suit, application (including any application under the Arbitration Act, 1940) or in any reference to arbitration and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or intended to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act.

(6) Any amount recovered under this Act shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, be applied in the following manner, namely :—

- (a) firstly, towards the cost of proceedings to be shared between the State Government and the authority issuing the certificate under sub-section (1), in such manner as may be prescribed;
- (b) secondly, towards interest to be paid to the authority;
- (c) thirdly, towards the principal amount due to be paid to the authority; and
- (d) the balance, if any, as far as possible in accordance with the provisions of section 151 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

Savings.

4.(1) Nothing in section 3 shall,—

- (a) affect any interest of the State Government, a Corporation, a Government company or any banking company in any property, created by any mortgage, charge, pledge or other encumbrance ; or
- (b) affect any right or remedy against any person other than a person referred to in that section, in respect of a contract of indemnity or guarantee entered into in relation to an agreement referred to in that section or in respect of any interest referred to in clause (a).

(2) Where the property of any person referred to in section 3 is subject to any mortgage, charge, pledge or other encumbrance in favour of the State Government, a Corporation, a Government company or a banking company, then—

- (a) in every case of a pledge or hypothecation of goods, proceedings shall first be taken for sale of the goods pledged or hypothecated and if the proceeds of such sale are less than the sum due, then proceedings shall be taken for recovery of the balance as arrear of land revenue :

Provided that where the Collector is of the opinion that it is necessary so to do for, ensuring the recovery of the sum due to the State Government or to a Corporation a Government company or a banking company, as the case may be, he may for reasons to be recorded, direct proceedings to be taken for recovery of the sum due, as arrear of land revenue before or at the same time the proceedings to be taken for sale of the goods pledged;

- (b) in every case of a mortgage, charge or other encumbrance on immovable property, such property or, as the case may be, the interest of the defaulter therein, shall first be sold in proceedings for recovery of the sum due from that person as arrear of land revenue, and any other proceedings may be taken thereafter only if the Collector certifies that there is no prospect of realisation of the entire sum

5. Nothing in this Act shall debar the recovery of dues under any other law for the time being in force: Act not to debar recovery of dues under any other law.

Provided that the authority to which the sum is due shall take recourse to the provisions of only one law at a time for its recovery.

6 (1) The State Government may, by notification, make rules for the purposes of carrying out of the provisions of this Act. Power of State Government to make rules.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may be made for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the form of certificate to be sent under sub-section (1) of Section 3 ;
 - (b) the manner in which cost of proceedings shall be shared between the State Government and the authority in terms of clause (a) of sub-section (6) of Section 3;
 - (c) any other matter which is to be or may be prescribed .
- (3) All rules made under this Act shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

7. (1) The Madhya Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1981 (No. 27 of 1981) is hereby repealed. Repeal and Validation, etc.

(2) Notwithstanding such repeal, any proceedings instituted for the recovery of any sum under the repealed Act and pending on the date of such repeal shall be deemed to have been instituted under this Act and shall continue in accordance with the provisions of this Act.

(3) Notwithstanding any judgement, decree or order of any court, anything done or any action taken (including orders made, notices or certificates issued and proceedings initiated to recover any amount) or purported to have been done or taken under the repealed Act shall be deemed to be as valid and effective as if such thing or action was done or taken under the corresponding provisions of this Act, and accordingly no suit or other legal proceedings shall be maintained or continued in any court questioning the validity of any things done or any action taken or purported to have been done or taken under the repealed Act on the ground that the said Act is unconstitutional or void as it had not been reserved for the assent of the President and assented to by the President.